सार्वजनिक सूचना

विषयः खुले में अपशिष्ट डालने/फेंकने, अपशिष्ट को जलाने एवं अपशिष्ट का पृथक्करण न करने वाले व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नौएडा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी कम में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराये जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नौएडा भी प्रतिभाग कर रहा है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा खुले में किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट न डालने हेतु सख्त निर्देश दिए है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियमानुसार आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थागत क्षेत्रों के सड़कों, फुटपाथों, सेंट्रल वर्ज एवं डिवाइडरों, अपशिष्ट जल निकासी की नालियों, वर्षा जल बहाव के नालों आदि में अपशिष्ट डालते/फेंकते हुए पकड़े जाने पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 278 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी –

1. खुले में अपशिष्ट डालनें/फेंकने तथा गंदगी फैलाने पर (Littering)
   अ. प्रथम बार उल्लंघन करने पर रू0 500/– का आर्थिक दण्ड
   ब. द्वितीय बार उल्लंघन करने पर रू0 1000/– का आर्थिक दण्ड
   स. तृतीय बार उल्लंघन करने पर रू0 1500/– का आर्थिक दण्ड
   द. चतुर्थ बार उल्लंघन करने पर रू0 5000/– का आर्थिक दण्ड तथा एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जायेगी।
2. अपशिष्ट जलाने पर (Burning of garbage)
   अ. प्रथम बार अपशिष्ट जलाने के दोषी पाये जाने पर रू0 5000/– का आर्थिक दण्ड
   ब. चतुर्थ बार अपशिष्ट जलाने के दोषी पाये जाने पर रू0 10,000/– का आर्थिक दण्ड तथा उचित धाराओं के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जायेगी।
3. अपशिष्ट का पृथक्कीकरण न करने पर (Non-Segregation of Waste)
   अ. प्रथम बार सेग्रीगेशन न करने पर रू0 100/– का आर्थिक दण्ड
   ब. द्वितीय बार सेग्रीगेशन न करने पर रू0 200/– का आर्थिक दण्ड
   स. तृतीय बार सेग्रीगेशन न करने पर रू0 500/– का आर्थिक दण्ड

नौएडा के स्मस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि कृप्या धरेलु स्तर पर जनित ठोस अपशिष्ट को गीले, सूखे एवं खतरनाक अपशिष्ट अलग–अलग कूड़ेदानों में एकत्र कर नौएडा प्राधिकरण की अधिकृत डोर टू डोर कलेक्शन एजेंसी को ही सौंपें।

यदि कोई नागरिक/ संस्था/ प्रतिष्ठान अपने परिसर में जनित अपशिष्ट को गीले, सूखे व खतरनाक अपशिष्ट में अलग–अलग न करके मिश्रित अपशिष्ट सौंपता है तो इस अवस्था में प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसी उनका अपशिष्ट लेने से मना कर सकती है।

अतः प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता से अपेक्षा है कि अपशिष्ट का सही तरीके से पृथक्करण कर उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपशिष्ट के डोर टू डोर कलेक्शन से सम्बंधित किसी भी शिकायत हेतु 1800–180–7995 और हमारे व्हाट्सएप नं0 9717080605 पर संपर्क करें।

कृप्या अपने शहर नौएडा को स्वच्छा सर्वेक्षण 2021 में उच्च स्थान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
नौएडा